राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1373/2025

डॉ. सुमित बबूटा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1), शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनित सिंघवी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में आचार्य एनाटोमी के पद पर सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से मेडिकल कॉलेज, उदयपुर रिक्त पद पर 400 कि.मी. दूर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2024 के द्वारा आचार्य एनॉटोमी एवं सह आचार्य, निश्चेतन का मेडिकल कॉलेज अजमेर से मेडिकल कॉलेज जयपुर में स्थानान्तरण किया गया है (अनुलग्नक–2)। उल्लेखनिय है कि तीन अन्य आचार्य एनॉटोमी के पद पर कोर्ट स्टे के कारण जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा डॉ. सीमा प्रकाश आचार्य एनॉटोमी, मेडिकल कॉलेज उदयपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया, को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज उदयपुर में आचार्य

एनॉटोमी का एक ही पद स्वीकृत है। उक्त पद पर डॉ. प्रवीण ओझा कार्यरत है। पद रिक्त नहीं होते हुए भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण उदयपुर किया गया है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी के पिता गठिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी के दो छोटे बच्चे है। अपीलार्थी की पत्नी सहायक अभियंता स्वचालन के पद पर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक–6)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को निरन्तर आचार्य के पद पर सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्य करने दिया जावे एवं वेतन भत्ते सहित समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

3. हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य